घरेलू / पारिवारिक हिंसा और ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम

नियम के लिए मार्गदर्शिका

इस पुस्तिका का प्रारूप सुहद कमंद द्वारा बनाया गया है, जोकि आव्रजन परामर्श और अधिकार केंद्र इंक. (Immigration Advice and Rights Centre Inc.) के निदेशक और प्रमुख वकील हैं, और ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता नियम की साधारण अँग्रेज़ी-भाषा निर्देशिका, *आव्रजन किट (The Immigration Kit), 8th सँस्करण* के संपादक/ सह-लेखक हैं।

अँग्रेज़ी के अतिरिक्त अन्य सभी भाषाओं में इस पुस्तिका का अनुवाद महिला नीति कार्यालय, एन एस डब्ल्यू और एन एस डब्ल्यू प्रीमियर और केबिनेट विभाग के सहयोग और वित्त-पोषण द्वारा सँभव हो पाया है।

ग्रेग गॉल द्वारा मुखप्रष्ठ का कार्टून

महत्वपूर्ण सूचना!

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी 12 जनवरी 2009 तक अद्यतन है, और इसका उद्देश्य घरेलू/ पारिवारिक हिंसा की स्थिति में आव्रजन नियम लागू किए जाने पर व्यवहार के लिए मार्गदर्शन देना है। इस पुस्तिका का प्रयोग केवल एक निर्देशिका (guide) के रूप में ही किया जाना चाहिए, और किसी कार्यक्षम पँजीकृत आव्रजन एजेंट के व्यावसायिक परामर्श के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इस पुस्तिका के कई पाठकों/ पाठिकाओं को इसके कुछ अँश समझने में कठिनाई हो सकती है। यदि न्यू साउथ वेल्स में निवास करने वाले ऐसे पाठकों/ पाठिकाओं को और अधिक परामर्श/ सहायता की जरूरत हो, तो हम उन्हें आव्रजन परामर्श और अधिकार केंद्र इंक. से दूरभाष द्वारा (02) 9279 4300 पर संपर्क करने की सलाह देते हैं। अन्य राज्यों में निवास करने वाले जिन पाठकों/ पाठिकाओं को आव्रजन में सहायता की जरूरत हो, उन्हें अपने स्थानीय लीगल एड आयोग (Legal Aid Commission) से संपर्क करना चाहिए, या अपने निकटतम सामुदायिक वैधानिक केंद्र का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक वैधानिक केंद्र संगठन (National Association of Community Legal Centres) से दूरभाष द्वारा (02) 9264 9595 पर संपर्क करना चाहिए।

IARC

Immigration Advice and Rights Centre Inc.

ABN: 45 808 320 822
Community Legal Centre, established in 1986

Level 5, 362 Kent Street Sydney NSW 2000
Ph: +61 2 9279 4300 (Admin Line, 9-5pm)
+61 2 9262 3833 (Advice Line, Tues & Thurs 2-4pm)
Fax: +61 2 9299 8467
Email: iarc@iarc.asn.au
Web: www.iarc.asn.au

विषय-सूची

1. ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम में DV/FV के लिए क्या प्रावधान हैं? 3

2. DV/FV के प्रावधान किन वीज़ाओं पर लागू होते हैं? 4

3. DV/FV के प्रावधानों को लागू किए जाने का प्रसंग 4

3.1 सहजीवी वीज़ा जारी किए जाने के चरण 6

3.2 DV/FV के प्रावधान लागू करना 8

4. वास्तविक (Genuine) संबंध 10

5. 'अभिकथित पीड़ित' (alleged victim) कौन हो सकता/ सकती है? 10

6. 'अभिकथित हिंसाकर्ता' कौन हो सकता/ सकती है? 10

7. यदि आवेदक/ आवेदिका अभी भी प्रायोजक व्यक्ति/ अभिकथित हिंसाकर्ता के साथ निवास कर रहा/ रही हो 11

8. संबंध समाप्त हो जाने पर आवेदक/ आवेदिका की जिम्मेदारियाँ 11

9. DV/FV प्रमाणित करना – मान्यता देने वाले (deeming) प्रावधान 11

9.1 न्यायिक प्रमाण 12

9.2 गैर-न्यायिक प्रमाण 12

9.3 'प्रासंगोचित घरेलू हिंसा'/ 'प्रासंगोचित पारिवारिक हिंसा' 13

9.4 'कार्यक्षम व्यक्ति' कौन होता है? 14

9.5 वैधानिक घोषणा-पत्रों में क्या होना चाहिए 14

9.6 वैधानिक घोषणा आवेदन-पत्र (फ़ॉर्म 1040) 16

9.7 आक्रमण का पुलिस अभिलेख 16

10. यदि DV/ FV प्रमाणित हो 16

11. यदि DV/ FV प्रमाणित न हो 16

12. 'प्रासंगोचित DV/FV' का स्वतंत्र आँकलन 17

13. सहायता कहाँ से प्राप्त करें? 17

13.1 सुरक्षा/ शरणाश्रम/ भाषा सहायता 18

13.2 DV/FV के लिए नि:शुल्क आव्रजन नियम सहायता 18

13.3 सामान्यज्ञ कानूनी सहायता (यानि गैर-आव्रजन मुद्दे) 19

13.4 राष्ट्रीय हेल्पलाइन 20

13.5 सरकारी विभाग 20

घरेलू/ पारिवारिक हिंसा (DV/FV[1]) और ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम

आँकड़े/ सँक्षेप

आव्रजन और नागरिकता विभाग ('विभाग') की 2007-8 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष के लिए घरेलू/ पारिवारिक (DV/FV) हिंसा के दावों से संबंधित आँकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

- पूरे देश-भर में DV/FV के 502 दावे किए गए थे (आव्रजन के संदर्भ में)।
- डी आई ए सी (DIAC) द्वारा 30 जून 2008 तक सेंटरलिंक के पास 74 निर्दिष्टिकरण भेजे गए थे (DV/FV के दावों के स्वतंत्र आँकलन के लिए), जोकि DV/FV के कुल दावों की 15% से भी कम दर परिलक्षित करता है।
- सेंटरलिंक द्वारा 30 जून 2008 तक जिन 61 निर्दिष्टिकरणों पर निर्णय दे दिए गए थे, उनमें से DV/FV के वास्तव में घटित होने के 40 प्रकरण पाए गए, और DV/FV के वास्तव में घटित न होने के 21 प्रकरण पाए गए।
- आव्रजन पुनरावलोकन अधिकरण (Migration Review Tribunal) द्वारा सेंटरलिंक के पास जो 49 अतिरिक्त प्रकरण भेजे गए थे, उनमें से DV/FV के घटित होने के 19 प्रकरण पाए गए, और DV/FV के घटित न होने के 26 प्रकरण पाए गए।
- विभागीय स्तर पर, किसी भी वित्तीय वर्ष में DV/FV के लगभग 65% दावों के परिणामस्वरूप स्थाई वीज़ा जारी किया जाता है (उनकी वीज़ा की उपश्रेणी के सभी संगत कानूनी मानदण्डों को पूरा कर किए जाने पर)।

ऑस्ट्रेलिया के समग्र आव्रजन कार्यक्रम के प्रसंग में DV/FV के लिए किए गए दावों की सँख्या बहुत ही कम होती है। हालाँकि इस तथ्य को प्रावधानों के न्यूनतम दुरुपयोग के रूप में एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है, परंतु इसके कारण यह मुद्दा भी सामने आता है कि ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सबसे असुरक्षित व्यक्तियों को DV/FV के लिए प्रावधानों के बारे में जानकारी ही नहीं है। इस सँसाधन का उद्देश्य यह है कि आव्रजन नियम में DV/FV के लिए प्रावधान उपलब्ध होने के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके, और इन प्रावधानों के क्रियान्वयन के बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया जा सके।

1. ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम में DV/FV के लिए क्या प्रावधान हैं?

आव्रजन नियम (Migration Regulations) की डिविज़न 1.5 (regs1.21-1.27) में पाए जाने वाले DV/FV प्रावधान वास्तव में ऐसे मान्यता-प्रदारक प्रावधान हैं (अध्याय 9 देखें) जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत DV/FV का

[1] 15 अक्तूबर 2007 को या इसके बाद किए गए आवेदनों के लिए 'पारिवारिक हिंसा' (Family Violence) की नई शब्दावली और परिभाषा का प्रयोग किया जाएगा। 15 अक्तूबर 2007 से पहले किए गए आवेदनों के लिए 'घरेलू हिंसा' (Domestic Violence) की पुरानी शब्दावली और परिभाषा का प्रयोग किया जाएगा। इन धारणाओं पर आगे 9.3 में चर्चा की गई है।

घटित होना माना जाता है या नहीं। यदि DV/FV घटित हुआ हो, और यदि आवेदन/ जारी किए गए वीज़ा के लिए DV/FV के प्रावधान लागू होते हों (अध्याय 2 और 3 देखें), तो वीज़ा आवेदक/ धारक/ धारिका स्थाई निवास प्राप्त कर सकता/ सकती है, चाहे वीज़ा जारी करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक संबंध समाप्त ही क्यों न हो गया हो।

DV/FV के प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि FV/DV से पीड़ित उन व्यक्तियों के लिए स्थाई निवास का एक मार्ग सुलब्ध कराया जा सके, जिन्होंने अन्य निर्धारित वीज़ाओं के लिए भी आवेदन किया हो, जिससे कि उन्हें दुर्व्यवहार करने वाले किसी सहजीवी पर आश्रित न रहना पड़े या स्थाई निवास प्राप्त करने के लिए दुर्व्यवहारपूर्ण संबंध में न रहना पड़े।

आव्रजन नियम के तहत DV/FV के घटित होने पर अभिकथित हिंसाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है, और न ही आपराधिक निष्कर्ष निकालना या उस पर अभियोग लगाना अनिवार्य होता है।

2. DV/FV के प्रावधान किन वीज़ाओं पर लागू होते हैं?

वर्तमान में DV/FV के प्रावधान केवल निम्नलिखित वीज़ा उपश्रेणियों पर ही लागू होते हैं:

वीज़ा उपश्रेणी ('sc') सँख्या	वीज़ा उपश्रेणी का नाम
100	पति/ पत्नी (स्थाई ऑफ़शोर)
110	अंतर्निभरता (interdependency) (स्थाई ऑफ़शोर - सामान्यत: समलिंगी संबंध)
445	निर्भर बच्चा/ अवयस्क
801	पति/ पत्नी (स्थाई ऑनशोर)
814	अंतर्निभरता (स्थाई ऑनशोर - सामान्यत: समलिंगी संबंध)
820	पति/ पत्नी (अस्थाई ऑनशोर)
826	अंतर्निभरता (अस्थाई ऑनशोर - सामान्यत: समलिंगी संबंध)
845	ऑस्ट्रेलिया में सँस्थापित व्यवसाय
846	राज्य/ राज्य-क्षेत्र द्वारा प्रायोजित ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय स्थलों में सँस्थापित व्यवसाय (State/Territory-Sponsored Regional Established Business in Australia)
855	कार्मिक अनुबंध (Labour Agreement)
856	कार्य-नियोक्ता नामाँकन योजना (Employer Nomination Scheme)
857	क्षेत्रीय स्थलों द्वारा प्रायोजित आव्रजन योजना (Regional Sponsored Migration Scheme)
858	अद्भुत प्रतिभा (Distinguished Talent)

अलग-अलग प्रकार के वीज़ाओं के लिए DV/FV के प्रावधानों को लागू करने में कुछ अंतर होते हैं। यह प्रकाशन मुख्य रूप से DV/FV के प्रावधानों के सहजीवी वीज़ाओं के प्रसंग में क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जोकि ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम के तहत सबसे आम रूप से किए गए DV/FV के दावों पर आधारित वीज़ा होते हैं।

3. DV/FV के प्रावधानों को लागू किए जाने का प्रसंग

ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम के तहत सहजीवी वीज़ा सामान्यत: 2 या 3 चरणों में जारी किए जाते हैं (नीचे 3.1 देखें)। सामान्यत: स्थाई वीज़ा जारी किया जाना वीज़ा-प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जिस संबंध पर वीज़ा के लिए पात्रता निर्भर करती हो, यदि

वह संबंध स्थाई वीज़ा जारी किए जाने से पहले ही समाप्त हो जाए, तो सामान्यत: केवल निम्नाँकित (a) (b) या (c) की स्थिति में ही स्थाई वीज़ा जारी किया जा सकता है। ध्यान दें कि जब FV/DV घटित हुआ हो, और (b) या (c) भी लागू हो, तो DV/FV के प्रावधानों पर निर्भर करने के बजाय (b) या (c) को प्रमाणित करना अधिक आसान हो सकता है। (a), (b) या (c) में से केवल एक के घटित होने को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है।

(a) संबंध समाप्त हो जाए और DV या FV घटित हो।

या

(b) संबंध समाप्त हो जाए और प्रायोजक (sponsoring) सहजीवी की मृत्यु हो गई हो - प्रायोजक सहजीवी की मृत्यु हो जाने के आधार पर स्थाई वीज़ा जारी किए जाने के लिए निर्णायक को इस बात से सँतुष्ट होना आवश्यक है कि यदि प्रायोजक पति/ पत्नी की मृत्यु नहीं हुई होती, तो आवेदक/ आवेदिका और प्रायोजक व्यक्ति के बीच संबंध जारी रहता। यदि प्रायोजक पति/ पत्नी की मृत्यु से पहले संबंध टूट जाने का प्रमाण उपस्थित हो, तो इस मानदण्ड की सँतुष्टि नहीं हो पाएगी।

आवेदक/ आवेदिका को सामान्यत: यह प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी होगी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में निकट के व्यावसायिक, साँस्कृतिक या निजी संबंध विकसित (यानि कि स्थापित या सशक्त) किए हैं। विभागीय नीति निम्नलिखित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती है:

- **व्यावसायिक संबंध** संपत्ति के स्वामित्व या ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के साथ व्यवसाय के रूप में हो सकते हैं। संबंध का 'निकट' का होने का आँकलन संगत व्यावसायिक संबंध के आधार पर नकारात्मक-निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है।
- **साँस्कृतिक संबंध** में कलाएँ, सँगीत और साहित्य शामिल हैं, परंतु ये संबंध केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। साथ ही साँस्कृतिक संबंधों में ऐसी गतिविधियों में आवेदक/ आवेदिका के प्रतिभाग की प्रकृति और विस्तार की गणना भी की जाती है।
- **निजी संबंध** से तात्पर्य निकट के परिवार और मित्रों से है। साथ ही निजी संबंधों में आवेदक/ आवेदिका के ऑस्ट्रेलिया में ताने-बाने की प्रकृति और विस्तार की गणना भी की जाती है।

या

(c) संबंध समाप्त हो जाए और इसमें बच्चे शामिल हों – यदि स्थाई वीज़ा जारी किए जाने से पहले ही संबंध समाप्त हो जाए और इसमें बच्चे शामिल हों, तो वीज़ा धारक/ धारिका/ आवेदक/ आवेदिका की स्थाई वीज़ा की पात्रता बनी रह सकती है। विभाग के समक्ष बच्चों के लिए किए गए प्रबंधनों के बारे में निम्नलिखित प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

- माता और पिता या सहजीवियों, दोनों से एक वैधानिक घोषणा-पत्र (statutory declaration), जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उन्होंने अनौपचारिक प्रबंध निर्धारित किया है और उनकी अभिभावकीय जिम्मेदारियों के रूप में उस प्रबंध की प्रकृति क्या है; और/ या
- एक सहमति आज्ञा-पत्र (consent order), जोकि माता-पिता या सहजीवियों के बीच किसी सहमति को ऐसी औपचारिकता प्रदान करे,

- o जो किसी न्यायाधीश द्वारा निर्धारित आज्ञा-पत्र के अनुरूप ही कानूनी रूप से मान्य हो; या
- o *परिवार कानून नियम (Family Law Act) 1975* के सेक्शन 64B(1) के तहत जारी किया गया अभिभावकीय आज्ञा-पत्र (parenting order)।

ध्यान दें कि बच्चों के बारे में उपरोक्त नीति *Srour v MIMA* [2006] FCA 1228 के सँघीय न्यायालय मामले (Federal Court case) के प्रसंग में बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण हो सकता है। इस मामले में वस्तुत: यह पाया गया कि कानून को लागू किए जाने की स्थिति में किसी भी अभिभावक को अपने बच्चे के प्रति समुचित अभिभावकीय जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है, बशर्ते ऐसा प्रमाण (उदाहरण के लिए न्यायादेश) उपस्थित न हो जो यह स्थापित करे कि निर्वाह की जिम्मेदारियों को रद्द कर दिया गया है।

3.1 सहजीवी वीज़ा जारी किए जाने के चरण

सहजीवी वीज़ा सामान्यत: 2 या 3 चरणों में जारी किए जाते हैं (यानि कि स्थाई निवास प्राप्त करने में 2 या 3 चरण होते हैं)। कुछेक परिस्थितियों में स्थाई वीज़ा एक चरण में ही जारी किया जा सकता है[2]।

3 चरणों की प्रक्रिया

मंगेतर (Fiancé) वीज़ा **sc 300**	➔	**अस्थाई पति/ पत्नी (Spouse) वीज़ा** **sc 820**	➔	**स्थाई पति/ पत्नी (Spouse) वीज़ा** **sc 801**

*** नोट: 'sc' = उपश्रेणी (Subclass)**

3 चरणों की प्रक्रिया में:

1. मंगेतर वीज़ा सामान्यत: 9 महीनों के लिए जारी किया जाता है। इन 9 महीनों के अंदर वीज़ा-धारक/ धारिका के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना और प्रायोजक व्यक्ति के साथ विवाह करना आवश्यक होता है।

2. जब दंपति ने विवाह कर लिया हो, तो मंगेतर वीज़ा-धारक/ धारिका ऑनशोर पति/ पत्नी वीज़ा (उपश्रेणी 820/801) के लिए आवेदन करता/ करती है। यह आवेदन स्थाई और अस्थाई पति/ पत्नी वीज़ा, दोनों के लिए होता है। यदि यह सफल हो, तो सामान्यत: दो सालों के लिए एक अस्थाई पति/ पत्नी वीज़ा जारी किया जाता है। यदि अस्थाई वीज़ा जारी (या इसका

---

[2] वीज़ा आवेदक/ आवेदिका को 2 वर्षों तक अस्थाई सहजीवी वीज़ा में निवास करने की आवश्यकता के बिना एक चरण में ही स्थाई वीज़ा जारी किए जाने की परिस्थितियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अस्थाई वीज़ा इस आधार पर जारी किया गया था कि आवेदक/ आवेदिका मानवतावादी आधार पर जारी किए गए वीज़ा के धारक का पति/ पत्नी है और प्रायोजक व्यक्ति ने इस पति/ पत्नी संबंध की सूचना मानवतावादी वीज़ा जारी किए जाने से पहले विभाग को दे दी थी। यह अपवाद केवल उपश्रेणी 309/100 के वीज़ा आवेदकों/ आवेदिकाओं पर ही लागू होता है, और उपश्रेणी 820/801 के आवेदकों/ आवेदिकाओं पर लागू नहीं होता है।
- यह दीर्घकालिक संबंध हो, यानि कि जोड़े का दाम्पत्य-संबंध कम से कम पाँच सालों तक रहा हो, या यदि अपने इस संबंध से उनके कोई निर्भर बच्चे हों (इनमें सौतेले-बच्चे शामिल नहीं हैं), तो यह संबंध दो सालों तक रहा हो। यह पात्रता वीज़ा के लिए आवेदन किए जाने के समय मान्य होनी चाहिए।

आवेदन) किए जाने से पहले ही संबंध समाप्त हो जाए, तो वीज़ा केवल तभी जारी किया जाएगा जब उपरोक्त अध्याय 3 में दिए गए अपवादों में से कोई एक लागू हो (यानि कि प्रायोजक व्यक्ति की मृत्यु, बच्चे का जन्म होना, या DV/FV घटित होना)।

3. जब वीज़ा-धारक/ धारिका ने लगभग दो सालों तक अस्थाई वीज़ा में निवास कर लिया हो, तो विभाग फिर से उस संबंध का आँकलन करता है जिसके आधार पर वीज़ा जारी किया गया था। यदि यह संबंध जारी रहा हो, तो विभाग सामान्यत: स्थाई पति/ पत्नी वीज़ा जारी कर देता है (स्वास्थ्य, चरित्र और अन्य सर्वसामान्य हित-मानदण्डों को सँतुष्ट किए जाने पर)। यदि संबंध समाप्त हो गया हो, तो स्थाई वीज़ा केवल तभी जारी किया जाएगा जब उपरोक्त अध्याय 3 में दिए गए अपवादों में से कोई एक लागू हो (यानि कि प्रायोजक व्यक्ति की मृत्यु, बच्चे का जन्म होना, या DV/FV घटित होना)।

2 चरणों की प्रक्रिया

अस्थाई सहजीवी वीज़ा	➔	स्थाई सहजीवी वीज़ा
(पति/ पत्नी ऑनशोर)		
sc 820	➔	sc801
(पति/ पत्नी ऑफ़शोर)		
sc309	➔	sc100
(अंतर्निभरता ऑनशोर)		
sc826	➔	sc814
(अंतर्निभरता ऑफ़शोर)		
sc310	➔	sc110

2 चरणों की प्रक्रिया में:

1. वीज़ा आवेदक/ आवेदिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया में (ऑनशोर) या ऑस्ट्रेलिया के बाहर (ऑफ़शोर) सहजीवी वीज़ा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन स्थाई और अस्थाई, दोनों वीज़ाओं के लिए होता है। यदि यह सफल हो, तो अस्थाई सहजीवी वीज़ा सामान्यत: दो सालों की अवधि के लिए जारी किया जाता है। यदि आवेदन किए जाने के बाद परंतु वीज़ा जारी किए जाने से पहले संबंध समाप्त हो जाए और आवेदन ऑनशोर हो, तो वीज़ा केवल तभी जारी किया जाएगा जब ऊपर अध्याय 3 में दिए गए अपवादों में से कोई एक लागू हो (यानि कि प्रायोजक व्यक्ति की मृत्यु, बच्चे का जन्म होना, या DV/FV घटित होना), और इस स्थिति में जारी किया गया वीज़ा स्थाई होगा।

2. जब वीज़ा-धारक/ धारिका ने लगभग दो सालों तक अस्थाई सहजीवी वीज़ा में निवास कर लिया हो, तो विभाग फिर से संबंध का आँकलन करेगा। यदि यह संबंध जारी रहा हो, तो विभाग अनिवार्यत: स्थाई पति/ पत्नी वीज़ा जारी करेगा (स्वास्थ्य, चरित्र और अन्य सर्वसामान्य हित-मानदण्डों को सँतुष्ट किए जाने पर)। यदि स्थाई वीज़ा जारी किए जाने से पहले यह संबंध समाप्त हो गया हो, तो स्थाई वीज़ा केवल तभी जारी किया जाएगा जब उपरोक्त अध्याय 3 में दिए गए अपवादों में से कोई एक लागू हो (यानि कि प्रायोजक व्यक्ति की मृत्यु, बच्चे का जन्म होना, या DV/FV घटित होना)।

3.2 DV/FV के प्रावधान लागू करना

DV/FV के प्रावधान अलग-अलग वीज़ा उपश्रेणियों में अलग-अलग तरीके से लागू किए जाते हैं। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सभी मामलों में DV/FV के प्रावधान लागू किए जाने के लिए आवेदन-प्रक्रिया में किसी समय पर वास्तविक पति/ पत्नी/ अविवाहित सहजीवी/ अंतर्निभर संबंध (जैसा उपयुक्त हो) का होना आवश्यक है। नीचे दी गई सारणी अलग-अलग वीज़ा उपश्रेणियों में DV/FV के प्रावधानों को लागू किए जाने के तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।

	वीज़ा उपश्रेणी (sc)	DV/FV के प्रावधानों का आँकलन कब किया जाता है	DV/FV के प्रावधान किस पर लागू होते हैं	किसको DV/FV से पीड़ित होना पड़ा हो
1	820 पति/ पत्नी	वीज़ा आवेदन के समय	sc820 वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ, जो sc300 वीज़ा-धारक/ धारिका हों या रहे/ रही हों और जिन्होंने अब प्रायोजक पति/ पत्नी के साथ विवाह कर लिया हो। यदि आवेदन सफल हो, तो आवेदक/ आवेदिका के लिए स्थाई sc801 वीज़ा जारी किया जाएगा।	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • आवेदक/ आवेदिका की परिवारिक इकाई का कोई सदस्य, जिसने आवेदक/ आवेदिका के साथ सँयुक्त रूप से आवेदन किया हो; और/ या • प्रायोजक पति/ पत्नी या आवेदक/ आवेदिका, या दोनों पर निर्भर अवयस्क (बच्चा); प्रायोजक पति/ पत्नी द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (*Mig Regs* के cl 820.211 (8) & (9) (d))
2	820 पति/ पत्नी (ऑनशोर अस्थाई)	वीज़ा निर्णय के समय	इस सारणी की पँक्ति 1 में न आने वाले सभी sc820/801 वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ। यदि आवेदन सफल हो, तो आवेदक/ आवेदिका के लिए स्थाई पति/ पत्नी sc801 वीज़ा जारी किया जाएगा।	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • प्रायोजक पति/ पत्नी या आवेदक/ आवेदिका, या दोनों पर निर्भर अवयस्क (बच्चा), प्रायोजक पति/ पत्नी द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (cl 820.221(3)(b)(i))
3	801 पति/ पत्नी (ऑनशोर स्थाई)	वीज़ा निर्णय के समय	sc801 के सभी वीज़ा आवेदक/ आवेदिकाएँ। वीज़ा आवेदक/ आवेदिकाओं को उपश्रेणी 820 का अस्थाई पति/ पत्नी वीज़ा-धारक/ धारिका होना अनिवार्य है	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • प्रायोजक पति/ पत्नी या आवेदक/ आवेदिका, या दोनों पर निर्भर अवयस्क (बच्चा), प्रायोजक पति/ पत्नी द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (cl 820.221(6)(c)(i))
4	100 पति/ पत्नी (ऑफ़शोर स्थाई)	वीज़ा निर्णय के समय	sc100 के सभी वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ, परंतु DV/FV तब घटित हुआ हो जब आवेदक/ आवेदिका ने पहली बार sc309 वीज़ा-धारक/ धारिका के रूप में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर लिया हो। सामान्य-तौर पर DV/FV के प्रावधानों के तहत आवेदन के आँकलन के समय उन्हें उस वीज़ा का धारक/ धारिका होना चाहिए।	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • प्रायोजक पति/ पत्नी या आवेदक/ आवेदिका या दोनों की परिवारिक इकाई का कोई सदस्य; प्रायोजक पति/ पत्नी द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (cl 100.221(4)(c)(i))

5	826 अंतर्निर्भरता (ऑनशोर अस्थाई)	वीज़ा निर्णय के समय	sc826 के सभी वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ। यदि आवेदन सफल हो, तो आवेदक/ आवेदिका के लिए स्थाई वीज़ा जारी किया जाएगा।	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • प्रायोजक व्यक्ति या आवेदक/ आवेदिका पर निर्भर अवयस्क (बच्चा); प्रायोजक व्यक्ति द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (cl 826.221(4)(b)
6	814 अंतर्निर्भरता (ऑनशोर स्थाई)	वीज़ा निर्णय के समय	sc814 के वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ जो sc826 अस्थाई अंतर्निर्भरता वीज़ा-धारक/ धारिका हों	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • प्रायोजक व्यक्ति या आवेदक/ आवेदिका पर निर्भर अवयस्क (बच्चा); प्रायोजक व्यक्ति द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (cl 814.221 (8)(c))
7	110 अंतर्निर्भरता (ऑफ़शोर स्थाई)	वीज़ा निर्णय के समय	sc110 के सभी वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ, परंतु DV/FV तब घटित हुआ हो जब आवेदक/ आवेदिका ने पहली बार sc310 वीज़ा-धारक/ धारिका के रूप में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर लिया हो। सामान्य तौर पर पारिवारिक हिंसा के प्रावधानों के तहत आवेदन के आँकलन के समय उन्हें उस वीज़ा का धारक/ धारिका होना चाहिए।	• आवेदक/ आवेदिका; और/ या • प्रायोजक व्यक्ति या आवेदक/ आवेदिका की पारिवारिक इकाई का कोई सदस्य; प्रायोजक व्यक्ति द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुए हों। (cl 110.221(4)(c))
8	445 निर्भर अवयस्क (बच्चा)	वीज़ा निर्णय के समय	sc 445 के वीज़ा-आवेदक/ आवेदिकाएँ DV/FV के प्रावधानों पर निर्भर कर सकते/ सकती हैं, यदि वीज़ा-धारक/ धारिका माता/ पिता और उस माता/ पिता के प्रायोजक व्यक्ति के बीच संबंध समाप्त हो गया हो, और वीज़ा-धारक/ धारिका माता/ पिता ने DV/FV के प्रावधानों के तहत sc 100, 110, 814 या 801 के वीज़ा के लिए निवेदन किया हो।	
9	845/ 846/ 855/ 856/ 857/ 858	वीज़ा निर्णय के समय	वीज़ा का सह-आवेदक/ आवेदिका (secondary applicant) DV/FV पर निर्भर कर सकता/ सकती है, यदि • सह-आवेदक/ आवेदिका प्रमुख आवेदक/ आवेदिका (primary applicant) की पत्नी/ पति हो; और • सह-आवेदक/ आवेदिका और प्रमुख आवेदक/ आवेदिका के बीच संबंध समाप्त हो गया हो	• सह-आवेदक/ आवेदिका; और/ या • सह-आवेदक/ आवेदिका की परिवारिक इकाई का कोई सदस्य, जिसने प्रमुख आवेदक/ आवेदिका के साथ सँयुक्त आवेदन किया हो; और/ या • आवेदक/ आवेदिका या प्रमुख आवेदक/ आवेदिका पर निर्भर अवयस्क (बच्चा); प्रमुख आवेदक/ आवेदिका द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से पीड़ित हुआ हो।

महत्वपूर्ण तथ्य! उपरोक्त सारणी की पँक्तियों 1-8 में अभिकथित हिंसाकर्ता (alleged perpetrator) प्रायोजक सहजीवी होना चाहिए। पँक्ति 9 में अभिकथित हिंसाकर्ता प्रमुख आवेदक/ आवेदिका होना चाहिए।

4. वास्तविक (Genuine) संबंध

DV/FV के प्रावधानों के लिए समुचित सभी सहजीवी वीज़ा आवेदनों में वीज़ा की आवेदन-प्रक्रिया में किसी समय पर (सामान्यत: आवेदन के समय) एक वास्तविक पति/ पत्नी/ अविवाहित सहजीवी/ अंतर्निभरता (जैसा उचित हो) संबंध होना चाहिए, जिससे कि DV/FV के प्रावधानों को लागू किए जाने का आरंभ किया जा सके। यदि यह पाया गया कि वीज़ा आवेदन-प्रक्रिया में निर्धारित समय पर वास्तविक संबंध नहीं था, तो निर्णायक इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा कि DV/FV घटित हुआ या नहीं।

5. 'अभिकथित पीड़ित' (alleged victim) कौन हो सकता/ सकती है?

'अभिकथित पीड़ित' निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता/ सकती है (reg 1.23(2)):

- अभिकथित हिंसाकर्ता की पत्नी/ पति; या
- निम्नलिखित पर निर्भर अवयस्क (बच्चा):
  - ⇒ अभिकथित हिंसाकर्ता; या
  - ⇒ अभिकथित हिंसाकर्ता की पत्नी/ पति; या
  - ⇒ अभिकथित हिंसाकर्ता और पति/ पत्नी, दोनों; या
  - ⇒ अभिकथित हिंसाकर्ता के साथ अंतर्निर्भरता के संबंध में कोई व्यक्ति; या
- अभिकथित हिंसाकर्ता के पति/ पत्नी की पारिवारिक इकाई का कोई सदस्य।

इसके अलावा हरेक वीज़ा उपश्रेणी में DV/FV से 'पीड़ित' व्यक्ति की पहचान भी की जाती है (उपरोक्त 3.2 में सारणी देखें)।

6. 'अभिकथित हिंसाकर्ता' कौन हो सकता/ सकती है?

सहजीवी वीज़ा के मामलों में DV/FV 'प्रायोजक पति/ पत्नी' द्वारा या प्रायोजक अंतर्निर्भर सहजीवी द्वारा किया जाना चाहिए। इस कारण से प्रायोजक पति/ पत्नी/ सहजीवी को अभिकथित हिंसाकर्ता होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि DV/FV के प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए जो भी सबूत प्रस्तुत किए जाएँ, उनमें अभिकथित हिंसाकर्ता के रूप में प्रायोजक पति/ पत्नी/ सहजीवी की पहचान की जानी चाहिए। ऐसा प्रमाण, जैसेकि जिसमें प्रायोजक पति/ पत्नी के भाई को हिंसाकर्ता के रूप में पहचाना जाए, DV/FV के प्रावधानों को सँतुष्ट नहीं करेगा।

पाठक/ पाठिकाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि 'अभिकथित हिंसाकर्ता' की परिभाषा DV/FV के प्रावधानों वाली सभी वीज़ा उपश्रेणियों में अनिवार्यत: समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कार्य-नियोक्ता नामाँकन योजना उपश्रेणी 856 वीज़ा के लिए एक सह-आवेदक/ आवेदिका के रूप में DV/FV का दावा करे, तो अभिकथित हिंसाकर्ता प्रमुख आवेदक/ आवेदिका होना चाहिए, न कि प्रायोजक व्यक्ति।

7. यदि आवेदक/ आवेदिका अभी भी प्रायोजक व्यक्ति/ अभिकथित हिंसाकर्ता के साथ निवास कर रहा/ रही हो

DV/FV के प्रावधान तभी लागू होते हैं जब आवेदक/ आवेदिका और सहजीवी के बीच संबंध समाप्त हो गया हो। यदि आवेदक/ आवेदिका और सहजीवी अभी भी साथ-साथ निवास कर रहे हों, तो यह प्रमाणित करना कठिन (परंतु संभव) हो सकता है कि संबंध समाप्त हो चुका है।

8. संबंध समाप्त हो जाने पर आवेदक/ आवेदिका की जिम्मेदारियाँ

आव्रजन नियम के खण्ड s104 के तहत वीज़ा आवेदकों/ आवेदिकाओं की यह जिम्मेदारी होती है कि वे विभाग को परिस्थितियों में किसी परिवर्तन की सूचना दें, जिसमें संबंध का समाप्त होना शामिल है। आवेदकों/ आवेदिकाओं को 14 दिन या अधिक के लिए निवास-स्थल का पता बदलने पर भी विभाग को सूचित करना चाहिए (नियम के खण्ड s52(3B) के तहत)।

DV/FV का अनुभव करने वाले आवेदकों/ आवेदिकाओं को शीघ्रातिशीघ्र विभाग को सूचित करना चाहिए, जिससे कि DV/FV का प्रमाण प्राप्त करने तक आवेदन-प्रक्रिया को निलंबित किया जा सके। आवेदक/ आवेदिका के संबंध समाप्त होने, DV/FV के घटित होने, और निवास-स्थल में परिवर्तन होने पर विभाग को लिखित में सूचित करना चाहिए।

यदि आवेदक/ आवेदिका विभाग को संपर्क न करे और विभाग को DV/FV घटित होने के बारे में जानकारी न मिले, तो वीज़ा-आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है, जिसके कारण कई तरह की कानूनी जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं। इसके बजाय यदि प्रायोजक व्यक्ति या आवेदक/ आवेदिका विभाग को सूचित न करे और वीज़ा इस आधार पर जारी किया जाए कि संबंध बना हुआ है, तो बाद में वीज़ा को रद्द किया जा सकता है।

9. DV/FV प्रमाणित करना – मान्यता देने वाले (deeming) प्रावधान

आव्रजन नियम के reg 1.23 के तहत DV/FV घटित होने को मान्यता दी जाती है या इसके घटित होने को मान लिया जाता है (यानि कि, किसी 'अभिकथित पीड़ित' का DV/FV से ग्रस्त होना, और किसी 'अभिकथित हिंसाकर्ता' द्वारा DV/FV की प्रताड़ना करना), यदि:

(a) DV/FV घटित होने का न्यायिक प्रमाण (judicial evidence) उपस्थित हो, यानि कि:

- अभिकथित पीड़ित ने *पारिवारिक कानून नियम 1975* के अनुच्छेद 114(1)(a), (b) या (c) के तहत अभिकथित हिंसाकर्ता के प्रति एक न्यायिक आज्ञापत्र (court injunction) के लिए आवेदन किया हो और उसे यह प्राप्त हो गया हो; या
- किसी राज्य या राज्य-क्षेत्र के कानून के तहत किसी न्यायालय ने अभिकथित पीड़ित की सुरक्षा के लिए अभिकथित हिंसाकर्ता के विरुद्ध आज्ञापत्र जारी किया हो, और यह आज्ञापत्र न्यायालय द्वारा अभिकथित हिंसाकर्ता को इस मुद्दे के संबंध में अपना पक्ष प्रकट करने, या अन्यथा न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ प्रकट करने के अवसर के बाद जारी किया हो; या

- किसी न्यायालय ने अभिकथित पीड़ित के प्रति हिंसा के किसी प्रकरण के लिए अभिकथित हिंसाकर्ता को दोषी करार दिया हो, या उसके विरुद्ध हिंसा के अपराध को अभिलेखित किया हो;

या

(b) **निर्णायक इस बात से सँतुष्ट हो कि गैर-न्यायिक प्रमाण (9.2 देखें) 'प्रासंगोचित DV' (relevant DV) या 'प्रासंगोचित FV' (relevant FV) की घटना को प्रमाणित करता है (9.3 देखें);**

या

(c) **निर्णायक किसी निर्धारित स्वतंत्र विशेषज्ञ (वर्तमान में सेंटरलिंक) की ऐसी राय को अनिवार्यत: सही माने कि अभिकथित पीड़ित 'प्रासंगोचित DV' या 'प्रासंगोचित FV' से ग्रस्त हुआ/ हुई हो (नीचे 12 देखें)।**

9.1 न्यायिक प्रमाण

ऐसे अनेकानेक नियम और प्रक्रियाएँ हैं जिनके तहत न्यायिक प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकाशन में ऐसी प्रक्रियाओं को यथार्थत: सँक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना सँभव नहीं है। इसके स्थान पर पाठकों/ पाठिकाओं को अध्याय 13 में सूचीबद्ध समुचित योग्यता-प्राप्त सँस्थाओं से इस बारे में अतिरिक्त जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए कोई सामान्यज्ञ सामुदायिक वैधानिक केंद्र या लीगल एड आयोग।

9.2 गैर-न्यायिक प्रमाण

गैर-न्यायिक प्रमाण आव्रजन प्रत्यायुक्त (immigration delegate) को निम्नाँकित A, B या C के रूप में दिया जा सकता है।

(A) किसी न्यायिक कार्यवाही (court proceeding) में 'अभिकथित पीड़ित' और 'अभिकथित हिंसाकर्ता' के बीच एक **सँयुक्त वचन-पत्र (joint undertaking)**, जिनमें हिंसा का आरोप लगाया गया हो। विभागीय नीति के अनुसार:

सँयुक्त वचन-पत्रों में आरोपित प्रमाण के आधार पर किसी मैजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा इंगित पारिवारिक हिंसा का कोई तथ्यान्वेषण (finding) सम्मिलित नहीं होता है। ये मात्र न्यायालय द्वारा अनुमोदित सहमति-पत्र होते हैं, जिनके अनुसार दोनों पक्षों को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करना होता है। अधिकारियों को इस बात का अधिकार होता है कि वे उपरोक्त परिस्थितियों में सँयुक्त वचन-पत्र में साझेदार व्यक्ति को आँकलन के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ के प्रति निर्दिष्ट कर सकें... सँयुक्त वचन-पत्रों में... यह मान्य होता है कि जिन मामलों में भली-भाँति नियत किया गया सँयुक्त वचन-पत्र दिया जाता है, उनमें से अधिकाँश मामलों में उस पत्र में वर्णन की गई घटनाओं पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। किसी निर्णायक के लिए इसके लिए बहुत स्पष्ट कारण होना चाहिए कि एक कानूनी दस्तावेज में अभिकथित हिंसाकर्ता द्वारा अभिकथित पीड़ित के प्रति हिंसक व्यवहार किया जाना मान लेने पर वह दस्तावेज सँदेहास्पद क्यों होगा (परंतु यह पारिवारिक हिंसा के झूठे दावों में सँभव हो सकता है, जहाँ उदाहरण के लिए, प्रायोजक पर इस वचन-पत्र के लिए अपनी सहमति देने के उद्देश्य से दबाव डाला गया था, या वह एक झूठे दावे में सम्मिलित होने के लिए सहमत था/ थी)।

या

(B) वीज़ा आवेदक/ आवेदिका द्वारा 1 वैधानिक घोषणा-पत्र और 'कार्यक्षम व्यक्तियों' (competent people) द्वारा 2 वैधानिक घोषणा-पत्र (9.4 देखें), जिसमें यह साक्ष्याँकन किया जाए कि 'प्रासंगोचित DV' या 'प्रासंगोचित FV' घटित हुआ;

या

(C) वीज़ा आवेदक/ आवेदिका द्वारा 1 वैधानिक घोषणा-पत्र और किसी 'कार्यक्षम व्यक्ति' द्वारा 1 वैधानिक घोषणा-पत्र और 'अभिकथित पीड़ित' के प्रति 'अभिकथित हिंसाकर्ता' द्वारा किए गए हिंसक प्रकरण का 1 पुलिस अभिलेख।

किस आवेदन-पत्र का प्रयोग किया जाए – प्रयोग के लिए ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमण्डल वैधानिक घोषणा-पत्र (Australian Commonwealth statutory declaration) के अतिरिक्त कोई अन्य निर्धारित कानूनी आवेदन-पत्र नहीं है। परंतु यह सलाह दी जाती है कि DV/FV के मामलों में वैधानिक घोषणा-पत्रों के लिए आव्रजन विभाग के *आवेदन-पत्र 1040* का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इस आवेदन-पत्र में उपयोगी निर्देश दिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित होगा कि वैधानिक घोषणा-पत्र देने वाले व्यक्ति ने सभी समुचित मुद्दों को संबोधित किया है।

9.3 'प्रासंगोचित घरेलू हिंसा'/ 'प्रासंगोचित पारिवारिक हिंसा'

'प्रासंगोचित घरेलू हिंसा'/ 'प्रासंगोचित पारिवारिक हिंसा' की परिभाषा आव्रजन नियम के reg 1.23(2)(b) में दी गई है और यह **केवल तभी प्रासंगोचित मानी जाती है जब DV/FV के दावे गैर-न्यायिक प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत किए जाएँ** (उपरोक्त 9.2 देखें)।

(ध्यान दें: न्यायिक रूप से निर्धारित किए गए दावे न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करते हैं, जो भिन्न-भिन्न कानूनों के आधार पर किए जाते हैं, उदाहरण के लिए, *परिवार कानून नियम 1975,* NSW *अपराध (घरेलू और व्यक्तिगत हिंसा नियम)।*

15 अक्तूबर 2007 को या इसके बाद किए गए सभी वीज़ा आवेदनों पर 'प्रासंगोचित FV' की परिभाषा लागू की जाएगी। 15 अक्तूबर 2007 से पहले किए गए वीज़ा आवेदनों का आँकलन 'प्रासंगोचित DV' की परिभाषा के प्रति किया जाएगा।

प्रासंगोचित पारिवारिक हिंसा (reg 1.23(2) (b))	प्रासंगोचित घरेलू हिंसा (reg. 1.23(2) (b))
प्रासंगोचित पारिवारिक हिंसा से तात्पर्य निम्नलिखित के प्रति वास्तव में किया गया या किया जाने वाला ऐसा कोई व्यवहार होता है: (i) अभिकथित पीड़ित; या (ii) अभिकथित पीड़ित की पारिवारिक इकाई का कोई सदस्य; या (iii) अभिकथित हिंसाकर्ता की पारिवारिक इकाई का कोई सदस्य; या (iv) अभिकथित पीड़ित की संपत्ति; या (v) अभिकथित पीड़ित की पारिवारिक इकाई के किसी सदस्य की संपत्ति; या (vi) अभिकथित हिंसाकर्ता की पारिवारिक इकाई के किसी सदस्य की संपत्ति; जिससे अभिकथित पीड़ित के लिए अपने कल्याण या सुरक्षा के लिए यथोचित* (reasonable*) भय या आशंका उत्पन्न हो।	प्रासंगोचित घरेलू हिंसा से तात्पर्य अभिकथित पीड़ित या उसकी संपत्ति के प्रति किसी प्रकार की हिंसा से होता है, जिससे कि अभिकथित पीड़ित, या अभिकथित पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत कल्याण या सुरक्षा के लिए भय या आशंका उत्पन्न हो।

* यानि कि समान परिस्थितियों में कोई सामान्य व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण या सुरक्षा के लिए भयभीत या आशंकाग्रस्त हो।

नई परिभाषा (यानि कि प्रासंगोचित FV) और पुरानी परिभाषा (यानि कि प्रासंगोचित DV) के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

- अभिकथित हिंसाकर्ता की गतिविधियाँ किसके प्रति हो सकती हैं
- अभिकथित हिंसाकर्ता की गतिविधियों के परिणामस्वरूप भयभीत या आशंकाग्रस्त कौन होता/ होती है
- किसके व्यक्तिगत कल्याण और सुरक्षा के लिए आशंका या भय उत्पन्न होता है
- नई आवश्यकता जिसके तहत व्यक्तिगत कल्याण और सुरक्षा के लिए उत्पन्न आशंका या भय होता यथोचित होना चाहिए; और
- "हिंसा" शब्द का वास्तव में प्रयोग "पारिवारिक हिंसा" की परिभाषा में नहीं किया जाना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि:

- reg 1.21(1) यह स्पष्ट करता है कि 'हिंसा' में हिंसा का भय शामिल है;
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यवहार 'अभिकथित पीड़ित' के प्रति निर्दिष्ट किया गया हो, परंतु इसके द्वारा अभिकथित पीड़ित के व्यक्तिगत कल्याण और सुरक्षा के लिए आशंका या भय उत्पन्न होना आवश्यक है
- 'हिंसा' में शारीरिक बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है, और इसका विस्तार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार तक किया जा सकता है: *Sok v MIMIA [2005] FCAFC 56*।

9.4 'कार्यक्षम व्यक्ति' कौन होता है?

'कार्यक्षम व्यक्ति' निम्नलिखित में से किसी एक व्यवसाय/ श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति हो सकता है:

- चिकित्सक;
- पँजीकृत मनोवैज्ञानिक;
- पँजीकृत नर्स;
- समाज-सेवक (जो ऑस्ट्रेलियाई समाज-सेवक संगठन (Australian Association of Social Workers) का सदस्य हो या जिसे सदस्यता के लिए पात्र माना जाए);
- *पारिवार नियम कानून 1975* के तहत 'परिवारिक परामर्शदाता' (family consultant);
- बाल-सुरक्षा कार्यकर्ता (बच्चों के प्रति की गई हिंसा के लिए); या
- स्त्री-शरणाश्रम (women's refuge) या किसी DV/FV संकट या परामर्श सेवा का प्रबंधक या समन्वयक। इनमें से किसी एक सेवा में कार्‌यरत कोई व्यक्ति भी कार्यक्षम व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते:
  - ⇒ शरणाश्रम/ संकट या परामर्श सेवा में उस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की जिम्मेदारियाँ हों; और
  - ⇒ उस सेवा की 'सामूहिक रूप से निर्णय लेने की संरचना' हो; और
  - ⇒ उस सेवा में कर्मचारी के पद पर उपरोक्त DV/FV हिंसा के मुद्दों के बारे में जिम्मेदारियाँ हों।

महत्वपूर्ण टिप्पणी! इस श्रेणी पर हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सँघीय न्यायालय ने *MIAC v Pham [2008] FCA 320* मामले पर विचार किया था, जबकि न्यायालय ने निम्नलिखित सुनवाई दी:

> ...स्त्री शरणाश्रम या किसी निर्धारित संकट और परामर्श सेवा 'के प्रबंधक या समन्वयक' होने के लिए यह [आवश्यक है] कि 'कार्यक्षम व्यक्ति' स्त्री शरणाश्रम या संकट और परामर्श सेवा के एक सँस्थान के रूप में उसके सामान्य कार्य-कलापों या निर्देशन हेतु प्रबंधन के किसी पद पर नियुक्त हो।

9.5 वैधानिक घोषणा-पत्रों में क्या होना चाहिए

9.5.1 वीज़ा आवेदक/ आवेदिका द्वारा दिया गया वैधानिक घोषणा-पत्र

यह वैधानिक घोषणा-पत्र वीज़ा आवेदक/ आवेदिका द्वारा दिया जाना चाहिए, जोकि अभिकथित हिंसाकर्ता की पत्नी/ पति या अंतर्निर्भर सहजीवी हो (चाहे वह 'अभिकथित पीड़ित' के रूप में पहचाना गया व्यक्ति हो, या न हो)। वीज़ा आवेदक/ आवेदिका द्वारा दिए गए घोषणा-पत्र की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, जोकि इस पर निर्भर करता है कि DV/FV से ग्रस्त व्यक्ति कौन है।

- ***यदि पत्नी/ पति या अंतर्निर्भर सहजीवी DV/FV से ग्रस्त 'अभिकथित पीड़ित' हो, तो वैधानिक घोषणा-पत्र में:***

⇒ प्रासंगोचित DV/FV के आरोप का विवरण दिया जाए (जिसमें 'अभिकथित पीड़ित' पर इसका प्रभाव शामिल हो); और

⇒ प्रासंगोचित DV/FV करने वाले अभिकथित व्यक्ति को नामाँकित किया जाए; और

⇒ यदि यह व्यवहार 'अभिकथित पीड़ित' (इस मामले में वैधानिक घोषणा-पत्र बनाने वाला व्यक्ति) के प्रति नहीं किया गया था, तो जिस व्यक्ति के प्रति यह व्यवहार किया गया था उसको भी नामाँकित किया जाए, और वैधानिक घोषणा-पत्र बनाने वाले व्यक्ति व जिस व्यक्ति के प्रति यह व्यवहार किया गया था, उनके बीच के संबंध की पहचान की जाए।

- *यदि पत्नी/ पति या अंतर्निर्भर सहजीवी अभिकथित पीड़ित' नहीं हो,* तो भी पत्नी/ पति या अंतर्निर्भर सहजीवी को एक वैधानिक घोषणा-पत्र पूरा करना चाहिए, जिसमें:

⇒ जिस व्यक्ति के प्रति यह व्यवहार किया गया था, उसे नामाँकित किया जाए (उदाहरण के लिए यदि:

  - o मारिया वीज़ा-धारिका पत्नी है; और
  - o उसके पिछले संबंध से बॉब 10 साल का बच्चा है; और
  - o मारिया के प्रायोजक पति द्वारा यह व्यवहार बॉब के प्रति किया गया था, तो बॉब को नामाँकित किया जाना चाहिए;

⇒ 'अभिकथित पीड़ित' और जिस व्यक्ति के प्रति यह व्यवहार किया गया था, उनके बीच के संबंध की पहचान की जाए (उदाहरण के लिए उपरोक्त मामले में मारिया के वैधानिक घोषणा-पत्र में यह इंगित किया जाना चाहिए 'ऐसे शब्द जो यह स्थापित करें कि 'मेरे पिछले संबंध से बॉब मेरा जैविक बेटा है, और वह अभिकथित पीड़ित है') ;

⇒ वैधानिक घोषणा-पत्र बनाने वाले व्यक्ति (यानि कि पत्नी/ पति/ अंतर्निर्भर सहजीवी) व जिस व्यक्ति के प्रति यह व्यवहार किया गया था, उनके बीच के संबंध की पहचान की जाए (उदाहरण के लिए उपरोक्त मामले में मारिया के वैधानिक घोषणा-पत्र में यह इंगित किया जाना चाहिए 'ऐसे शब्द जो यह स्थापित करें कि 'मेरे पिछले संबंध से बॉब मेरा जैविक बेटा है'); और

⇒ प्रासंगोचित DV/FV का आरोप जिस प्रमाण पर आधारित हो, उसका विवरण दिया जाना चाहिए।

9.5.2 'कार्यक्षम व्यक्ति' द्वारा बनाया गया वैधानिक घोषणा-पत्र

यदि कोई आवेदक/ आवेदिका 'कार्यक्षम व्यक्तियों' द्वारा बनाए गए दो वैधानिक घोषणा-पत्र उपलब्ध कराए, तो दोनों वैधानिक घोषणा-पत्र भिन्न-भिन्न कार्यक्षम व्यक्तियों द्वारा बनाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, दो शरणाश्रम कार्मिकों द्वारा दो वैधानिक घोषणा-पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, परंतु एक शरणाश्रम कार्मिक और एक नर्स द्वारा वैधानिक घोषणा-पत्र दिया जाना मान्य होगा।

किसी 'कार्यक्षम व्यक्ति' द्वारा दिए गए वैधानिक घोषणा-पत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए:

- 'कार्यक्षम व्यक्ति' की इस बारे में राय कि क्या 'अभिकथित पीड़ित' प्रासंगोचित DV/FV से ग्रस्त हुआ/ हुई है; और
- इस राय का आधार (उदाहरण के लिए कार्यक्षम व्यक्ति पीड़ित द्वारा विवरण दिए गए DV/FV के प्रकरणों को प्रस्तुत कर सकता/ सकती है; पीड़ित की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या मानसिक दशा और क्या ऐसी दशा अन्य DV/FV पीड़ितों की प्रतिक्रिया से संगत है; अन्य प्रासंगोचित DV/FV पीड़ितों के साथ कार्यक्षम व्यक्ति का अनुभव); और
- पीड़ित का नाम; और
- हिंसाकर्ता का नाम; और

- यदि अभिकथित हिंसाकर्ता का व्यवहार विशेषरूप से 'अभिकथित पीड़ित' के प्रति निर्दिष्ट नहीं किया गया था (उदाहरण के लिए यह व्यवहार पारिवारिक इकाई के किसी अन्य सदस्य के प्रति निर्दिष्ट किया गया था), तो:
  ⇒ हिंसाकर्ता ने जिस व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार किया था, उसे नामाँकित किया जाए; और
  ⇒ 'अभिकथित पीड़ित' और जिस व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार निर्दिष्ट किया गया था, उनके बीच का संबंध प्रस्तुत किया जाए।

कार्यक्षम व्यक्ति को वैधानिक घोषणा-पत्र बनाने के अपने आधार को भी प्रस्तुत करना चाहिए। कार्यक्षम व्यक्ति के लिए यह एक अच्छी कार्य-प्रणाली होती है कि वे कार्यक्षमता के सबूत के रूप में अपनी योग्यता की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

9.6 वैधानिक घोषणा आवेदन-पत्र (फॉर्म *1040*)

फॉर्म 1040 www.immi.gov.au पर उपलब्ध एक विभाग आवेदन-पत्र है, जिसका उपयोग आवेदक/ आवेदिका और कार्यक्षम व्यक्ति अपने वैधानिक घोषणा-पत्र बनाने में कर सकते हैं। यह आवेदन-पत्र कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, और इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। परंतु इस आवेदन-पत्र का प्रयोग करना बेहतर हो सकता है क्योंकि यह घोषणा करने वाले व्यक्ति को संबोधित किए जाने वाले प्रासंगोचित मुद्दों के प्रति निर्दिष्ट करता है।

9.7 आक्रमण का पुलिस अभिलेख

यदि पुलिस के पास आक्रमण की रिपोर्ट लिखाई गई हो, तो पुलिस का अभिलेख किसी एक वैधानिक घोषणा-पत्र के स्थान पर प्रस्तुत किया जा सकता है। पुलिस के पास लिखाया गया पीड़ित व्यक्ति का कथन DV/FV प्रावधानों के उद्देश्य के लिए पुलिस अभिलेख के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

10. यदि DV/ FV प्रमाणित हो

यदि विभाग DV/FV घटित होने के बारे में सँतुष्ट हो और आवेदक/ आवेदिका स्वास्थ्य, चरित्र व अन्य सर्वसामान्य हित-मानदण्डों को सँतुष्ट कर ले, तो आवेदक/ आवेदिका के लिए स्थाई वीज़ा जारी किया जाएगा।

11. यदि DV/ FV प्रमाणित न हो

मँत्री को 'न्यायिक रूप से निर्धारित' DV/FV को इसके घटित होने के प्रमाण हेतु स्वीकार करना अनिवार्य होगा। परंतु वह 'गैर-न्यायिक रूप से निर्धारित' (उदाहरण के लिए वैधानिक घोषणा-पत्र, सँयुक्त घोषणाएँ या पुलिस के अभिलेख) प्रमाणों को DV/FV के निश्चित रूप से घटित होने के लिए स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगा/ होगी।

यदि मँत्री इस बात से सँतुष्ट न हो कि उपलब्ध कराया गया प्रमाण प्रासंगोचित DV/FV घटित होना प्रदर्शित करता है, तो इस मुद्दे को स्वतंत्र आँकलन के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए – वर्तमान में यह सेंटरलिंक द्वारा किया जाता है।

सँदेहास्पद मामले

प्रासंगोचित DV/FV घटित होने का आँकलन करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि आरोप सँदेहास्पद हैं या नहीं, विभाग निम्नलिखित पर विचार करेगा:

- क्या वैधानिक घोषणा-पत्रों में प्रस्तुत की गई जानकारी सँदिग्ध या अस्पष्ट है;
- क्या कुछ परस्पर-विरोधी प्रमाण मौजूद है, जैसेकि:
  - ⇒ खारिज किए गए या अविजित न्यायिक मामले;
  - ⇒ वैधानिक घोषणा-पत्रों में या उनके आपस के बीच परस्पर-विरोधी कथन;
  - ⇒ पहले कभी प्रस्तुत की गई या किन्हीं तीसरे पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई परस्पर-विरोधी सूचना;
- कितने समय तक पक्षों का आपस में संबंध रहा;
- अभिकथित हिंसा घटित होने के कितने समय बाद आवेदक/ आवेदिका अपना DV/FV दावा प्रस्तुत करता/ करती है;
- क्या कथनों में दी गई जानकारी पर्याप्त रूप से विस्तृत है, या ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त विस्तार नहीं है;
- क्या प्रायोजक व्यक्ति के पास आवेदक/ आवेदिका के विरुद्ध DV/FV के लिए न्यायिक आदेश हैं।

विभागीय नीति यह इंगित करती है कि विभाग किसी पुरुष द्वारा किए गए गैर-न्यायिक रूप से निर्धारित प्रासंगोचित DV/FV का स्वतंत्र आँकलन करवाने को उचित मानता है, जब तक कि इस बात का 'प्रबल प्रमाण' उपलब्ध न हो कि वह दावा यथार्थ नहीं था।

निर्णायक के संदेहों को दूर करने के लिए दावों को प्रबल करने वाले अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध कराना सहायक हो सकता है। इन प्रमाणों में चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक रिपोर्टें शामिल हैं।

12. 'प्रासंगोचित DV/FV' का स्वतंत्र आँकलन

आव्रजन नियम के reg 1.23(1B)(b) के तहत यदि मंत्री इस बात से सँतुष्ट न हो कि प्रासंगोचित DV/FV घटित हुआ है, तो यह प्रश्न समुचित योग्यता-प्राप्त 'स्वतंत्र विशेषज्ञ' के प्रति निर्दिष्ट किया जाना चाहिए (वर्तमान में सेंटरलिंक)।

यदि कोई मामला सेंटरलिंक के प्रति निर्दिष्ट किया जाए, तो आवेदक/ आवेदिका को सूचित किया जाएगा। विभाग को उपलब्ध कराई गई सभी समुचित जानकारी आँकलन में सहायता करने के लिए सेंटरलिंक को उपलब्ध कराई जाएगी। सेंटरलिंक द्वारा आगे की किसी भी आवश्यक सूचना का प्रबंधन सीधे सेंटरलिंक और वीज़ा आवेदक/ आवेदिका के बीच किया जाएगा।

सेंटरलिंक द्वारा किया गया आँकलन केवल इस प्रश्न के बारे में होगा कि क्या प्रासंगोचित DV/FV घटित हुआ, या नहीं। सेंटरलिंक का निष्कर्ष अंतिम और मान्य होगा। इसलिए यदि सेंटरलिंक यह निष्कर्ष निकाले कि प्रासंगोचित DV/FV घटित नहीं हुआ है, तो केस अधिकारी के लिए यह निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

13. सहायता कहाँ से प्राप्त करें?

<u>महत्वपूर्ण सूचना</u>

DV/FV से पीड़ित गैर-स्थाई निवासियों को शीघ्रातिशीघ्र विभाग के साथ संपर्क कर उन्हें अपनी परिवर्तित परिस्थितियों के बारे में सूचित कर देना चाहिए (इसमें संबंध समाप्त होना, निवास-स्थल के पते में परिवर्तन होना, DV/FV घटित होना, बच्चों का होना, आदि शामिल हैं)। अगला कदम आव्रजन के बारे में परामर्श और सामान्य कानूनी सलाह प्राप्त करना होगा। हर समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए संपर्क विवरण

आव्रजन को प्रभावित करने वाली DV/FV की सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों की पहचान करने के उद्देश्य से दिए गए हैं। नीचे दी गई अधिकाँश (पर सभी नहीं) सेवाएँ केवल एन एस डब्ल्यू में ही उपलब्ध हैं। एन एस डब्ल्यू से बाहर कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक वैधानिक केंद्र संगठन से दूरभाष द्वारा (02) 9264 9595 पर संपर्क करें, या फिर अपने निकटतम लीगल एड आयोग से संपर्क करें।

13.1 सुरक्षा/ शरणाश्रम/ भाषा सहायता

आपातकालीन सेवाएँ

पुलिस, एंबुलेंस, आग
दूरभाष: 000

आश्रय और शरण

घरेलू हिंसा लाइन से 1800 656 463 पर दूरभाष द्वारा संपर्क करें। वे आपकी परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त आश्रय में भर्ती होने के लिए संपर्क स्थापित करेंगे, जहाँ कोई स्थान खाली हो या आपको सलाह और सहायता देने के लिए कार्मिक उपलब्ध हों।

भाषा सहायता

अनुवाद और भाषाँतर सेवा
13 14 50 – यदि आप अच्छी तरह से अँग्रेज़ी न बोल पाते/ पाती हों और आप सलाहकर्ता के साथ बात करना चाहते/ चाहती हों, तो दूरभाष से अनुवाद और भाषाँतर सेवा से संपर्क करें और अपने लिए समुचित सेवा से संपर्क स्थापित करने के लिए उनसे निवेदन करें।

13.2 DV/FV के लिए नि:शुल्क आव्रजन नियम सहायता

Immigration Advice and Rights Centre Inc. (आव्रजन परामर्श और अधिकार केंद्र इंक.)
Level 5, 362 Kent Street, Sydney
दूरभाष: 02 9262 3833 (सलाह लाइन – मंगलवार और गुरुवार 2 – 4 बजे)
02 9279 4300 (स्वागत-कक्ष लाइन)
जालपृष्ठ: www.iarc.asn.au

DV/FV सहित ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन, नागरिकता और शरणार्थी कानून के कई प्रकार के मुद्दों पर परामर्श और सहायता। दूरभाष द्वारा नि:शुल्क परामर्श और कुछ मामलों में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराता है।

Legal Aid NSW (लीगल एड एन एस डब्ल्यू)
Head Office, Ground Floor
323 Castlereagh Street

SYDNEY NSW 2000
दूरभाष: (02) 9219 5000 (आव्रजन नियम खण्ड का दूरभाष)
फैक्स: (02) 9219 5935
टी टी वाई: (02) 9219 5126

नि:शुल्क कानूनी परामर्श और प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराता है।

Immigrant Women’s Speakout (आप्रवासी महिलाओं का वाक-मंच)
दूरभाष: 02 9635 8022

ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम के DV/FV प्रावधानों के प्रयोग के लिए आप्रवासी महिलाओं को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराता है।

13.3 सामान्यज्ञ कानूनी सहायता (यानि गैर-आव्रजन मुद्दे)

Domestic Violence Advocacy Service (घरेलू हिंसा कानूनी सेवा)
सिडनी सलाह लाइन: (02) 8745 6999
ग्रामीण नि:शुल्क कॉल लाइन: 1800 810 784
मूक-बधिर महिलाओं के लिए टी टी वाई: 1800 626 267

सलाह लाइनों के खुलने का समय
9.30 बजे सुबह - 12.30 बजे दोपहर और
1.30 बजे दोपहर - 4.30 बजे दोपहर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार।

जिन महिलाओं को दुभाषिए की आवश्यकता हो, वे दूरभाष दुभाषिया सेवा (Telephone Interpreter Service) से 131 450 पर संपर्क कर दुभाषिए को इस सेवा से (02) 9749 7700 पर संपर्क स्थापित करने के लिए निवेदन कर सकती हैं। यह सेवा कानूनी सलाह के लिए किसी वकील के साथ आपका संपर्क स्थापित कर सकती है।

Generalist Community Legal Centres (सामान्यज्ञ सामुदायिक वैधानिक केंद्र)
सबसे निकट के अपने सामुदायिक वैधानिक केंद्र का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक वैधानिक केंद्र संगठन से दूरभाष द्वारा (02) 9264 9595 पर संपर्क करें, या सामुदायिक वैधानिक केंद्र डायरेक्ट्री www.naclc.org.au पर ऑनलाइन देखें

LawAccess NSW (लॉ एक्सेस एन एस डब्ल्यू)
कानूनी हेल्प लाइन से दूरभाष द्वारा 1300 888 529 पर संपर्क करें

Legal Aid NSW (लीगल एड एन एस डब्ल्यू)
उपरोक्त 13.2 देखें

13.4 राष्ट्रीय हेल्पलाइन

Mensline Australia (मेंसलाइन ऑस्ट्रेलिया)

दूरभाष: 1300 78 99 78 – मेंसलाइन ऑस्ट्रेलिया पारिवारिक और संबंधों में कठिनाइयों से ग्रस्त पुरुषों को सहायता प्रदान करता है – इनमें वे पुरुष भी शामिल हैं जो संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अपने व्यवहार के बारे में कुछ करना चाहते हैं। मेंसलाइन ऑस्ट्रेलिया अज्ञात रूप से पुरुषों, और अपने जीवन में शामिल पुरुषों के कल्याण के बारे में चिंतित व्यक्तियों के लिए दूरभाष द्वारा सहायता, सूचना और निर्दिष्टिकरण प्रदान करता है। यह सेवा पूरे देश-भर में, दिन में 24 घण्टे, सप्ताह में सात दिन एक स्थानीय कॉल के मूल्य पर उपलब्ध है।

National Domestic Violence and Sexual Assault Helpline (राष्ट्रीय घरेलू हिंसा और यौन-आक्रमण हेल्पलाइन)

1800 200 526 - यह नि:शुल्क हॉटलाइन 24 घण्टे उपलब्ध है और हिंसा का अनुभव कर रहे किसी व्यक्ति के लिए एक अनुभवी सलाहकर्ता के साथ गोपनीय रूप से बात-चीत सुनिश्चित कराती है

LifeLine (लाइफ़लाइन)

13 11 14

www.lifeline.org.au

Kids Help Line (किड्स हेल्प लाइन)

1800 551 800 – युवाओं के लिए 24 घण्टे उपलब्ध नि:शुल्क किड्स हेल्प लाइन एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

www.kidshelp.com.au

Relationships Australia (संबंध ऑस्ट्रेलिया)

1300 364 277 – संबंध ऑस्ट्रेलिया पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में 50 सालों से भी अधिक समय से सलाह, मध्यवर्तन और अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराता आ रहा है। यह एक पक्षपातहीन, लाभहीन, समुदाय-आधृत संगठन है।

13.5 सरकारी विभाग

Department of Immigration and Citizenship (आव्रजन और नागरिकता विभाग) - वीज़ा आवेदक/ आवेदिकाओं को विभाग द्वारा भेजे गए उनके पिछले पत्र में नामाँकित केस अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से 131 881 पर कॉल करें, या अपने निकटतम विभाग कार्यालय में जाएँ (विभाग के जालपृष्ठ www.immi.gov.au पर कार्यालय-स्थलों के पते दिए गए हैं)।

Centrelink (सेंटरलिंक) – (संकटकालीन भुगतान पूछ-ताछ लाइन, दूरभाष: 131 021)

Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs (परिवार, आवास, सामुदायिक सेवाओं और स्वदेशी मुद्दों के मामलों का विभाग) - (नि:शुल्क हेल्पलाइन: 1800 200 526)

IARC
Immigration Advice and Rights Centre Inc.
ABN: 45 808 320 822
Community Legal Centre, established in 1986

Level 5, 362 Kent Street Sydney NSW 2000
Ph: +61 2 9279 4300 (Admin Line, 9-5pm)
+61 2 9262 3833 (Advice Line, Tues & Thurs 2-4pm)
Fax: +61 2 9299 8467
Email: iarc@iarc.asn.au
Web: www.iarc.asn.au

नवम्बर 2009 अपडेट

आँकड़े/सँक्षेप

आव्रजन और नागरिकता विभाग ('विभाग') की 2008-9 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष के लिए घरेलू/ पारिवारिक (DV/FV) हिंसा के दावों से संबंधित आँकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

- पूरे देश भर में DV/FV के 708 दावे किए गए थे (आव्रजन के संबंध में)।
- डी आई ए सी (DIAC) द्वारा 30 जून 2009 तक सेंटरलिंक के पास 98 निर्दिष्टिकरण भेजे गए थे (DV/FV के दावों के स्वतंत्र आँकलन के लिए), जोकि DV/FV के कुल दावों की 15% से भी कम दर परिलक्षित करता है।
- सेंटरलिंक द्वारा 30 जून 2009 तक जिन 82 निर्दिष्टिकरणों पर निर्णय दे दिए गए थे, उनमें से DV/FV के वास्तव में घटित होने के 45 प्रकरण पाए गए, और DV/FV के वास्तव में घटित न होने के 37 प्रकरण पाए गए।
- आव्रजन पुनरावलोकन अधिकरण (Migration Review Tribunal) द्वारा सेंटरलिंक के पास जो 30 अतिरिक्त प्रकरण भेजे गए थे, उनमें से DV/FV के घटित होने के 15 प्रकरण पाए गए, और DV/FV के घटित न होने के 9 प्रकरण पाए गए।

जनवरी 2009 में पुस्तिका के प्रकाशन के समय से लेकर ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इस पुस्तिका के प्रयोगकर्ताओं को इस बात से अवगत होना चाहिए कि पुस्तिका के प्रकाशित संस्करण में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत नहीं है:

1. 1 जुलाई 2009 से समलिंगी दंपति विषमलिंगी दंपतियों की तरह ही तथ्यत: सहजीवी (de facto partners) माने जाते हैं – इसलिए उपश्रेणी 110, 310, 814 और 826 अंतर्निर्भरता वीज़ा (Interdependency visa) रद्द कर दिए गए हैं। अन्य तथ्यत: संबंध के आवेदकों/आवेदिकाओं की तरह (और उन्हीं मानदण्डों के अनुरूप) ही समलिंगी संबंध का/की कोई आवेदक/आवेदिका भी उपश्रेणी 820/801 या 309/100 के वीज़ा के लिए आवेदन करेगा/करेगी।

2. 1 जुलाई 2009 से सभी "पति/पत्नी" ("Spouse") वीज़ा "सहजीवी" ("Partner") वीज़ा कहलाते हैं।

3. 9 नवम्बर 2009 से एक नई कानूनी आवश्यकता यह है कि DV/FV के प्रकरण के घटित होने के समय सहजीवी संबंध बना रहा था।

4. 9 नवम्बर 2009 से कानूनी प्रावधानों को पुनर्गठित किया गया जिसके कारण कुछ नियमाँक भिन्न हो सकते हैं, परंतु प्रावधानों के प्रभावों में कोई बदलाव नहीं आया है (उदाहरण के लिए "प्रासंगिक घरेलू हिंसा" को Reg 1.23 से Reg 1.21 पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, पर इसकी परिभाषा नहीं बदली है)।